# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठैड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल आर एक्ट संख्या :-84/2018/जिला भीलवाड़ा

श्री कैलाश चन्द शर्मा पुत्र इंद्रदेव
जाति ब्राम्हण, निवासी गंगापुर,तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

--प्रार्थी

**बनाम**

1.श्रीमति लादी पुत्री इंद्रदेव पत्नि माधुलाल जाति ब्राम्हण निवासी गंगापुर,हाल निवासी अड़सीपुरा, तह0 सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा
2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा।

——अप्रार्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 विरूद्ध निर्णय ए0डी0एम भीलवाड़ा, दिनांक 02.05.2018 प्रकरण संख्या 132/2017 उनवानी कैलाश चन्द बनाम श्रीमति लादी देवी में पारित किया गया।

उपस्थित अभि0:—श्री मदनलाल गुर्जर (वकील अपी0)
रेस्पोडेंड अभि0:— श्री शोकिन्दलाल
राजकीया अभि0:— श्री आकाश पारीक

निर्णय — दिनांकः—28.02.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सहाड़ा तह0 सहाड़ा में स्थित खसरा न0 5692,5693,5856,5857,5858,5861,5862,5863,5872,6218,6219,6922,6259,6260,6261,6262 कुल 16 , कुल रकबा 5.6300 हे0 भूमि में संयुक्त खातेदारी में इंद्रदेव पुत्र रामलाल का नाम भी दर्ज है। इंद्रदेव कोई पुत्र संतान नहीं होने से अपीलांट कैलाश चंद शर्मा को गोद लिया था तथा दिनांक 29.09.2004 को गोदनाम पंजीकृत करवाया था। इंद्रदेव की एक विवाहिता पुत्री लादी देवी भी है। अपीलांट के पक्ष में इंद्रदेव द्वारा एक वसीयतनाम दिनांक 06.04.2017 को निष्पादित कराया था। तहसीलदार सहाड़ा ने बिना अपीलांट को सुने नामांतरण संख्या 3245 दिनांक 10.07.2017 को स्वीकृत कर दिया। जिसमें अपीलांट को गोदपुत्र की हैसियत से तथा लादीदेवी को पुत्री होने की हैसियत से खाते में दर्ज किया गया था। उक्त नामांतरण के विरूद्ध अपीलांट द्वारा एक अपील संख्या 132/2017 ए0डी0एम भीलवाड़ा में दर्ज करवायी गई। जिसे दिनांक 02.05.2018 को सुनकर निरस्त कर दिया गया तथा तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामांतरण संख्या 3245 दिनांक 10.07.2017 को यथावत रखा जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है—

1. अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

2. नामांतरण सिर्फ गोदनामा और वसीयतनामा के आधार पर सिर्फ अपीलांट के पक्ष में खोला जाना चाहिए था।

3. गोदनामा और वसीयतनामा जब तक निरस्त नहीं करवा लिया जायें, तब तक रेस्पो0 को लाभ नहीं दिया जा सकता था।

4. नामांतरण एक सरसरी कार्यवाही है तथा हक अधिकार के लिए रेस्पो0 चाहे तो उसे नियमित वाद प्रस्तुत करना चाहिए था।

5. पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी नजीरे एवं प्रावधानो का विवेचन नहीं किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:36:57 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपील स्वीकार करते हुए ए0डी0एम न्यायालय भीलवाड़ा का निर्णय दिनांक 02.05.2018 तथा तहसीलदार सहाड़ा द्वारा स्वीकृत नामांतरण संख्या 3245 दिनांक 10.07.2017 को निरस्त किया जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। इसके समर्थन में एक शपथ पत्र भी उनके द्वारा दिया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार ए0डी0एम भीलवाड़ा निर्णय दिनांक 02.05.2018 की सूचना उनके वकील ने उसको नहीं दी थी। दिनांक 26.02.2018 को पटवार हल्का से उसे निर्णय की जानकारी हुई, उसके पश्चात वह आवश्यक कार्यवाही कर अजमेर आकर वकील नियुक्त कर अपील अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 31.10.2018 को प्रस्तुत कर दी है। देरी सदभाविक होने से क्षमा के योग्य है। अतः अपील को अंदर मियाद मानते हुए स्वीकार किया जाये।

एक अन्य प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश में प्रार्थी का कहना है कि वह भूमि का काश्तकार है तथा मौके पर काबिज भी है। यदि निर्णय अन्तर्गत अपील पालना को स्थगित नहीं किया गया तो रेस्पो0 लादीदेवी भूमि को अन्य व्यक्तियों को बेच देगी। अतः प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। ए0डी0एम भीलवाड़ा का निर्णय दिनांक 02.05.2018 की पालना को स्थगित किया जायें तथा मौके व राजस्व रिकोर्ड की स्थिति को यथास्थिति बनाई जायें। इसके समर्थन में भी उनके द्वारा एक शपथ पत्र दिया गया।

अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की की गई। नोटिस जारी किए गए। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब कर रिकोर्ड प्राप्त किया गया।

बहस उभय पक्ष वकील सुनी गई। मौखिक बहस के दौरान वकील अपीलांट के अनुसार इंद्रदेव की मृत्यु दिनांक 04.05.2017 को हुई। जिसमें विरासत का नामांतरण किया जाकर कैलाश चंद्र एवं लादी देवी के नाम दिनांक 10.07.2017 को नामांतरण स्वीकृत किया गया। अपीलांट द्वारा अपील ए0डी0एम भीलवाड़ा में की गई। दिनांक 06.0.2017 को वसीयतनामा मेरे पक्ष में किया गया। द्वितीय अपील वर्तमान में न्यायालय हाजा में चल रही है। मुझे नोटिस नहीं दिया। वकील रेस्पो0 शोकिन्द लाल के अनुसार अपील मीमो के पैरा न0 3 में लादी को पुत्री बताया है। गोदपुत्र के आधार पर नामांतरण खुल चुका है। भूमि स्वअर्जित है या नहीं या अपीलांट को सिद्ध करना है। स्वअर्जित है तो कर सकता है।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को देखा गया। प्रार्थी द्वारा बताई हुई बातो से न्यायालय सहमत है। साथ ही प्रार्थी द्वारा इसके समर्थन में शपथ पत्र भी दिया गया है। अतः न्यायालय यह मानता है कि प्रार्थना पत्र धारा 5 सम्यक रूप से प्रस्तुत किया गया है और इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट प्रार्थी खुद को भूमि का खातेदार एवं खुद को काबिजकाश्त बताते हुए, स्थगन की मांग की गई है। अपीलांट एवं लादी दोनों ही सहखातेदार है तथा ए0डी0एम न्यायालय द्वारा पूर्व में तहसीलदार सहाड़ा के निर्णय की पुष्टि की गई। अपीलांट का यह कहना है कि ए0डी0एम न्यायालय की पालना को रोका जायें। जबकि ए0डी0एम ने मात्र तहसीलदार के पूर्व आदेश की ही पुष्टि की है। अपीलांट द्वारा चाहा गया अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश बाबत् खारिज किया जाता है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। नामांतरण संख्या 3245 दिनांक 10.07.2017 [illegible] सहाड़ा का अवलोकन किया गया। न्यायालय ए0डी0एम भीलवाड़ा निर्णय दिनांक 02.05.20[illegible] का अवलोकन किया गया। मनन किया गया। नामांतरण संख्या 3245 [illegible] के अनुसार खोला गया। मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 04.05.2017 एवं रजिस्टर्ड गोद[illegible] दिनांक 29.09.2004 जो कि एक रजिस्टर्ड पंजिब्ध दस्तावेजो के आधार पर खोला गया है। उक्त नामांतरण के अनुसार मृतक

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:36:57 IST
Reason: SelfAttested

इंद्रदेव की जाइंदा पुत्री लादी है। जो अपीलांट ने भी माना है। तथा इंद्रदेव की पत्नि पूर्व में ही फौत हो जाने से विरासत के आधार पर रेस्पो0 न0 1 लादी के पक्ष में नामांतरण दर्ज किया गया। साथ ही रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 29.09.2004 की वजह से अपीलांट कैलाश चंद का नाम भी लादी के साथ दर्ज किया गया है। तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 06.04. 2017 की मूल प्रतिलिपी की मूल दस्तावेज अथवा प्रमणित दस्तावेज मूल पत्रावली पर नहीं है। अतः सिर्फ छायाप्रति होने से इसकी विवेचना नहीं की गई है। वसियत स्वअर्जित संपति की ही की जा सकती है। पैतृक संपति की वसीयत नहीं की जा सकती है तथा अपीलांट द्वारा भूमि स्वअर्जित है, या पैतृक है यह सिद्ध नहीं किया गया है।

समग्र विवेचन से स्पष्ट है कि नामांतरण 3245 सही तरिके से रजिस्टर्ड गोदनामें एवं विरासत के आधार पर खोला गया है। अपीलांट वसीयत के आधार पर भूमि में स्वामित्व प्राप्त कर सकता था, यदि वह सिद्ध कर पाता कि भूमि स्वर्जित है। चूंकि भूमि पैतृक है अथवा स्वर्जित है यह अपीलांट द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। अतः न्यायालय ए0डी0एम भीलवाड़ा द्वारा जो निर्णय दिया गया है वह उचित है तथा उसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज योग्य है।

## –:क्रियात्मक आदेशः–

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय ए0डी0एम भीलवाड़ा, दिनांक 02.05.2018 प्रकरण संख्या 132/2017 उनवानी कैलाश चन्द बनाम श्रीमति लादीदेवी बाबत ़खसरा न0 5692,5693,5856,5857,5858,5861,5862,5863,5872,6218,6219,6922,6259,6260,6261,6262 कुल किता 16 , कुल रकबा 5.6300 हे0 **ग्राम सहाड़ा तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा सारहीन होने से खारिज की जाती है।**

आज दिनांक 28.02.2022 को उक्त आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

**(गजेन्द्र सिंह राठौड)**
**अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,**
**अजमेर**

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:36:57 IST
Reason: SelfAttested